दिनांक 10-5-2018

पत्रावली निस्तारण कार्यक्रम अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार, 2018 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। पक्षकारों को लोक अदालत के जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जो शामिल मिसल हैं। प्रार्थी मंवरलाल उपस्थित। अप्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण कैम्प के दौरान लंबित होने से प्रार्थी व अप्रार्थी पैरोकार सरकार को सुना गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार के जवाब व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीगण ने अपने पिता कल्याणमल पुत्र मंगलाजी खारीवाल को जागीरी के पुराने खसरा नंबर 2092/26 में दिनांक 20-6-1978 को आवंटित 10 बीघा भूमि के 1/2 भाग से बने हाल खसरा नंबर 398/445 रकबा 1.45 हैक्टर स्टेट फ्रंटली के माध्यम से खातेदारी दर्ज कराने की मांग की गई है। उक्त भूमि आवंटन के पश्चात प्रार्थीगण

पता दस्तखत

212

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
	के पिता स्वारामजी मंगवानी के नाम गैर खातेदार अथवा खातेदार के रूप में दर्ज नहीं हुई है तथा प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला इन्द्राज दुरस्ती का नहीं बनता है। धारा 136 RLR Act के प्रावधानों अनुसार विभाग द्वारा की गई लिपिकीय त्रुटियों को उपखण्ड अधिकारी दोनों पक्षों के सहमत होने पर दुरस्ती के आदेश दे सकता है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार, बाली सहमत नहीं है तथा रेकर्ड में यह कहीं पर साबित नहीं है कि पूर्व के लेखों में प्रार्थी के पिता के नाम अधिकार अभिलेखों में दर्ज रहे थे। इसके साथ ही इन्द्राज दुरस्ती का आवेदन मूल आवंटी ही कर सकता है। मूल आवंटी का देहांत होने के बाद प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन पेश किया है। अप्रार्थी तहसीलदार बाली के जवाब अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा भी नहीं रहा है। इस प्रकार राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज भूमि की प्रार्थीगण द्वारा इन्द्राज दुरस्ती के माध्यम से खातेदारी दर्ज किये जाने की मांग स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम जावरी स्थित भूमि पुराने खसरा नंबर 212/2/26 रकबा 1.40 बीघा से बने हाल खसरा नंबर 398/445 रकबा 1.40 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 राज. भू. रा. अधिनियम, 1956 खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

Scanned by CamScanner